

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
कार्यालय आदेश

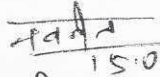
संचिका सं० :-01/स्था० न्यायालय-941/2019- 1809

पटना, दिनांक 16 सितम्बर, 2026

गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत अराजपत्रित कर्मियों का ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ प्रदान करने की अनुशंसा हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदानाम	स्क्रीनिंग समिति में स्थिति
1.	श्री अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०, ईखायुक्त, बिहार।	अध्यक्ष
2.	श्री नजर हुसैन, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना। (अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य)।	सदस्य
3.	श्री विधु भूषण चौधरी, भा०प्र०से०, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अनु० जाति/जनजाति के सदस्य)।	सदस्य
4.	श्री अभय कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि)।	सदस्य
5.	श्री दिवाकर मणि, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग के सदस्य)।	सदस्य
6.	उप सचिव/अवर सचिव (क्षे०), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य
7.	प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी स्थापना शाखा, गन्ना उद्योग विभाग।	सदस्य

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

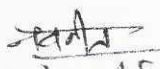

15.09.2026
(नवनीत कुमार दूबे)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-01/स्था० न्यायालय-941/2019-

पटना, दिनांक सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/श्री नजर हुसैन, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग/श्री विधु भूषण चौधरी, भा०प्र०से० अपर सचिव, उद्योग विभाग/श्री दिवाकर मणि, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री अभय कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप सचिव/अवर सचिव (क्षे०)/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी स्थापना शाखा), गन्ना उद्योग विभाग एवं आईटी प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15.09.2026
सरकार के अवर सचिव।